पत्रांक 93

प्रेषक,

डॉ॰ घनश्याम मोदी,

गोशाला विकास पदाधिकारी,

बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,

बिहार। (अरवल,बाँका,पुर्णिया एवं कैमुर का छोड़कर)

पटना, दिनांक 8.4.15

विषयः– गोशाला से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन प्रत्येक माह में भेजने के संबंध मे ।

महाशय ,

उपर्युक्त विषयक, सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चल रहे केस संख्या **MJC-590/2014** की समीक्षा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। जिसके आलोक में सरकार के स्तर से कार्रवाई की जा रही है । बिहार गोशाला एक्ट 1950 एवं बिहार गोशाला नियमावली 1954 मे निहित प्रावधानो के तहत आप अपने जिला अन्तर्गत अवस्थित सभी गोशालाओ के पदेन सदस्य के साथ–साथ स्थानीय विभागीय पदाधिकारी भी है।

अतः गौशाला के पदेन सदस्य एवं स्थानिय पदाधिकारी होने के नाते, निदेशानुसार कहना है कि प्रत्येक माह के अंत में अपने अधिनस्त सभी गौशालाओ का भौतिक सत्यापन कर, सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–15 दिनांक 17.01.2015 द्वारा निर्गत, विहित प्रपत्र मे प्रतिवेदन तैयार कर, हर माह के 5 वीं तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को भेजने की कृपा किया जाय/ साथ ही गौशाला कमेटी का गठन एवं सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान की राशि का नियमानुकुल व्यय सुनिश्चित कराया जाये ।

कृप्या इसे गंभीरता से लेते हुए समयानुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

08/04/15

गौशाला विकास पदाधिकारी

बिहार, पटना

8/4/15